न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी - सानिया हाशमी, आर.जे.एस.

(सेशन जज केडर)

सेशन प्रकरण संख्या: 32/2023

RJBW110008212023

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : 208/2023, पुलिस थाना शाहपुरा

राजस्थान राज्य -- **बनाम** रूस्तम

अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं०

भाग प्रथम

A

परिवादी	मकबूल मोहम्मद पुत्र श्री मदार मंसूरी, उम्र 43 वर्ष, निवासी कनेछन कलां थाना फुलिया कलां जिला भीलवाड़ा
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक शाहपुरा
अभियुक्त का नाम व पता	रूस्तम पुत्र श्री मोहम्मद अली, उम्र 21 वर्ष, निवासी रहड़ पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रामप्रसाद जाट एवं श्री भगवान लाल मीणा
अपर लोक अभियोजक	श्री हितेष शर्मा
अधिवक्ता परिवादी	---

B

अपराध की दिनांक	29.06.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	30.06.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	11.09.2023

आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	03.02.2024
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	04.03.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	25.06.2026
निर्णय दिनांक	25.06.2026

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्रं० सं०	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 द०प्र०सं० के उद्देश्य के लिए अभि० द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	रूस्तम	01.07.2023	-	302 IPC	**दोषसिद्ध आजीवन कारावास एवं 25,000/-रू0 अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त**		---

<u>भाग द्वितीय</u>

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ- अभियोजन गवाहान

रेंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी.ड.1	मकबूल मोहम्मद	परिवादी रिपोर्टकर्ता, धारा 161 द.प्र.सं.
पी.ड.2	मोहम्मद अली	फर्द पंचायतनामा/सुपुर्दगी लाश
पी.ड.3	रामलाल	फर्द पंचायतनामा लाश
पी.ड.4	मोहम्मद अजीज	फर्द पंचायतनामा लाश व नक्शा मौका
पी.ड.5	रोशन	फर्द पंचायतनामा/सपुर्दगी लाश

पी.ड.6	मदीना	फर्द पंचायतनामा लाश व धारा 161 द.प्र.सं. बयान
पी.ड.7	इरफान	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.8	मोहम्मद हुसैन	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.9	असलम	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.10	साहिल	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.11	समीर	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.12	भोलूराम	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.13	अजीज	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.14	आलम	स्वतंत्र गवाह व धारा 161 द0प्र0सं0
पी.ड.15	युसुफ मोहम्मद	नक्शा मौका घटनास्थल
पी.ड.16	डॉ0 हीरापाल	पोस्टमार्टमकर्ता
पी.ड.17	रमेश	फर्द गिरफतारी, फर्द तस्दीक घटनास्थल, फर्द जब्ती साफी, मोटर साईकिल व बरामदगी स्थल
पी.ड.18	गजराज	सीसीटीवी फुटेज, पेनड्राईव पेशकर्ता धारा 65 बी साक्ष्य अधि0 प्रमाण
पी.ड.19	मुकेश	फर्द गिरफतारी, फर्द तस्दीक घटनास्थल, फर्द जब्ती साफी, मोटर साईकिल व बरामदगी स्थल
पी.ड.20	डा0 वीरभान	मृतका के मनोरोग इलाज संबंधित कागजात की ताईदकर्ता
पी.ड.21	हर्ष मीणा	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्टकर्ता
पी.ड. 22	मिश्रीलाल	मालखाना इंचार्ज
पी.ड. 23	रईस मोहम्मद	मुल्जिम के मोबाइल नंबर रूस्तम द्वारा उपयोग में लेने की ताईदकर्ता

पी.ड. 24	राजकुमार नायक	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 25	कल्पना राठौड़	कता चार्जशीट
पी.ड. 26	सचिन राठी	कोल डिटेल एवं 65 बीसाक्ष्य अधि0 कैफ आई डी की ताईदकर्ता

ब- बचाव गवाह

रेंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
---	---	----

स- न्यायालय गवाह

रेंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार
--	--	--

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ- अभियोजन प्रदर्श

क्रं०सं०	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	फर्द सुपुर्दगी लाश
3	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 4	फर्द पंचायतनामा लाश
5	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान अजीज
6	प्रदर्श पी 6	पुलिस बयान आलम
7	प्रदर्श पी 7	लाश का पोस्टमार्टम कराने की तहरीर
8	प्रदर्श पी 8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
9	प्रदर्श पी 9	फर्द गिरफतारी
10	प्रदर्श पी 10	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल

11	प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती साफी
12	प्रदर्श पी 12	साफी बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती मोटर साईकिल
14	प्रदर्श पी 14	मोटर साईकिल बरामदगी का नक्शा मौका
15	प्रदर्श पी 15	धारा 65 बी प्रमाण-पत्र
16	प्रदर्श पी 16	दवाईयों की पर्ची
17	प्रदर्श पी 17	फोटोग्राफी घटनास्थल
18	प्रदर्श पी 18	फोटोग्राफी घटनास्थल
19	प्रदर्श पी 19	फोटोग्राफ
20	प्रदर्श पी 20	फोटोग्राफ
21	प्रदर्श पी 21	फोटोग्राफ
22	प्रदर्श पी 22 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
23	प्रदर्श पी 23 ए	जब्तशुदा आर्टिकल मालखाना में जमा करने की प्रति
24	प्रदर्श-पी 24	चॉक एफ.आई.आर.
25	प्रदर्श पी 25	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
26	प्रदर्श पी 26	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
27	प्रदर्श पी 27	--''--
28	प्रदर्श पी 28	
29	प्रदर्श पी 29	फर्द विश्लेषण सीडीआर
30	प्रदर्श पी 30	कैफ आईडी व 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तहरीर
31	प्रदर्श पी 31	65 बी प्रमाण-पत्र

32	प्रदर्श पी 32	कैफ आईडी
33	प्रदर्श पी 33	इकरारनामा
34	प्रदर्श पी-34	आर0सी0

ब- बचाव प्रदर्श

क्रं०सं०	प्रदर्श	विवरण

स- न्यायालय प्रदर्श

क्रं०सं०	प्रदर्श	विवरण
---	---	---

द- भौतिक वस्तूएं

क्रं०सं०	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1	आर्टिकल-1	साफी

:: निर्णय :: **दिनांक : 25.06.2026**

1- इस सेशन प्रकरण का उदभव परिवादी मकबूल मोहम्मद द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-208/2023 पुलिस थाना शाहपुरा के प्रकरण में बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप पत्र संख्या-133/2023 प्रस्तुत करने पर हुआ है।

2- प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.06.2023 को परिवादी मकबूल मोहम्मद द्वारा थानाधिकारी

पुलिस थाना शाहपुरा के समक्ष हस्तलिखित एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 इस आशय की पेश की कि उसकी बहिन शहनाज बानो पुत्री मदार पिनारा निवासी कनेछनकलां हाल रहड़ जिसकी शादी करीबन 22 साल पहले मोहम्मद अली पुत्र पहलवान निवासी रहड़ के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहिन के 3 बच्चे हुये थे। कल दिनांक 29.06.2023 को जरिये फोन सूचना मिली कि उसकी बहिन की मौत हो चुकी है। जिसके सांप के खाने से मौत होने की बात आयी थी, मगर आज उसने उसकी बहिन की लाश देखी तो सांप खाने के कोई भी शरीर पर निशान नहीं है, मगर गले में रस्सी से गला घोंटने के निशान नजर आ रहे है। उसे ये यकीन है कि उसकी बहिन की गला घोंटकर हत्या कर दी है, इस संबंध में रूस्तम पिता मोहम्मद अली, मोहम्मद पिता पहलवान, बहिन की सास शायरी बानू पर पूरा-पूरा यकीन है। दावे के साथ इन लोगों पर उसे पूरे यकीन है की इन लोगों ने उसकी बहिन को गला घोंटकर मारा है। अतः गफूर जी सांपला वाले की सोची समझी चाल है। अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है यह घटना रहड़ गांव में उसके बाड़े की है आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-208/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। घटना का संपूर्ण अनुसंधान करने के पश्चात् थानाधिकारी पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा उक्त उल्लेखित अभियुक्त <u>रूस्तम</u> के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० में दिनांक 05.01.2018 को न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां उक्त आरोपित अपराध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि उल्लेखित आरोप सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त प्रकरण वास्ते विचारण हेतु इस न्यायालय को उपार्पित कर भिजवाये जाने पर दिनांक 22.09.2023 को यह प्रकरण इस न्यायालय में सेशन प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

3- तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2024 को उभय पक्षकारान की बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत

धारा 302 भा०द०सं० के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उक्त आरोपो से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए ऊपर वर्णित **भाग द्वितीय** में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5- अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध उत्पन्न हुई आपराधिक परिस्थितयों के स्पष्टीकरण हेतु अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनो को झूंठा होना बताते हुए कथन किया कि उसे झूंठा फंसाया गया है वह निर्दोष है एवं बचाव साक्ष्य में समूचित अवसर दिये जाने के बावजूद बचाव साक्ष्य पेश नहीं करने पर बचाव साक्ष्य बंद की गई ।

6- उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। इस सेशन प्रकरण के निर्णयन हेतु मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :--

1- आया अभियुक्त ने दिनांक 29.06.2023 को किसी समय पुलिस थाना शाहपुरा के क्षैत्राधिकार में मौजा रहड़ में अपनी माता शहनाज को मोटर साईकिल पर बिठाकर गांव के बाहर बाड़े में ले जाकर साफी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी ?

2- यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र हैं ?

7- दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श 26 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवायी गयी है एवं गवाह पी.ड.1 लगायत पी.ड.34 मौखिक साक्षीगण के रूप में परीक्षित करवाये गये है। इस प्रकार उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं विश्लेषणानुसार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोपित अराध सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को उल्लेखित आरोपो में दोषसिद्ध किया जावे।

8- खण्ड़न में अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन रहा है कि हस्तगत प्रकरण में पुलिस द्वारा मामले में लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित मानते हुए

अभियुक्त को गलत व झूंठा फंसाया है। घटना में फर्द जब्ती साफी के गवाहान दोनों पुलिसकर्मी है जबकि मौके पर स्वतंत्र साक्षी उपस्थित थे तथा स्वतंत्र साक्षी को अनुसंधान अधिकारी ने जान-बुझकर गवाह नहीं बनाया है। अभियोजन की ओर से मृतका शहनाज बानू के साथ अभियुक्त द्वारा अथवा उसके परिवारजन में से किसी के द्वारा किसी कोई लड़ाई-झगड़ा या मारपीट किये जाने की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही पूर्व में ऐसी तथाकथित मारपीट बाबत थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। बहस में आगे उन्होंने निवेदन किया है कि अभियोजन ने हस्तगत प्रकरण लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित माना है लेकिन इसके संबंध में जो सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किये गये हैं उससे संबंधित धारा 65बी के प्रमाण-पत्र को गवाह पी0ड0 18 गजराज के द्वारा साबित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त के मोबाईल एवं अन्य गवाहान के मोबाईल की जो सीडीआर प्रस्तुत की गयी है, उसमें जो समय बताया गया है तथा घटना के समय इन दोनों में अंतराल पाया गया है। अतः अभियुक्त को लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को उल्लेखित आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1- माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रिमिनल अपील संख्या 1387 सन 2012 हंसराज बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ निर्णय दिनांक 10.02.2025
2- 2014(3) सी0जे0 (क्रिमि.)(एससी) 722 कन्हेयालाल बनाम स्टेट आफ राज0।
3- माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रमित अपील नंबर... सन 2025 एसपीएल(क्रिमि.) नं. 17440 सन 2024 पदमन विभार बनाम स्टेट आफ उड़ीसा

9- उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उपरोक्त वर्णित विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, सर्वप्रथम उसका संक्षिप्त रूप से उल्लेख व विवेचन किया जाना आवश्यक है---

10- अभियोजन साक्षी गवाह पी.ड. 1 मकबूल मोहम्मद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि उसके तीन बहिने है। उसकी बहिन शहनाज बानू की शादी रहड़ में मोहम्मद अली के साथ हुई थी। उसकी बहिन के तीन बच्चे बच्ची है। उसके जीजाजी कुछ नहीं करते है। दिनांक 29.06.2023 को वह उदयपुर में गाडी चला रहा था। उसे फोनपर सूचना मिली कि उसकी बहिन शहनाज बानू की मृत्यु हो चुकी है और जानकारी मिली कि वह शाहपुरा में अस्पताल में है। उस समय उसे यह सूचना मिली कि उसकी बहिन की मृत्यु सांप काटने से हुई। यह सूचना शाहपुरा पुलिस थानाधिकारी राजकुमार नायक ने दी । उसके बाद वह शाहपुरा आ गया उसको उसकी बहिन की बॉडी अस्पताल में दिखाई थी। उसके शरीर पर सांप के काटने का कोई निशान नहीं था लेकिन गले पर रस्सी के जैसे निशान थे।उसके बाद पुलिस वालों ने मृतका का पोस्टमार्टम् करवाया। उसके बाद उसकी बहिन की लाश उसे सुपुर्द कर दी जिसका अंतिम संस्कार किया फिर पुलिस ने उसके बयान लिये और उससे पूछा कि किसी पर शक है तो उसने कहा कि उसकी बहिन के साथ आये दिन लड़ाई-झगड़ा और मारपीट होती रही है। उसकी बहिन के साथ उसकी सास, उसका पति और उसके बेटे बेटी मारपीट करते रहते थे बाद में पता चला कि उसकी बहिन के बेटे रूस्तम ने उसे मार दिया था। इस घटना की हस्तलिखित रिपोर्ट उसने पुलिस दी थी। जो प्रदर्श पी-1 है फर्द सुपुर्दगी लाश दिनांक 30.06.2023 प्रदर्श पी-2 है, उसी दिन पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

11- गवाह पी0ड0 2 मोहम्मद अली ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 30.06.2023 को सेटेलाईट हॉस्पीटल शाहपुरा में मोर्चरी में

मृतका शहनाज बानू का पुलिस ने पंचनाम प्रदर्श पी-4 बनाया तथा उसके बाद मृतका की लाश उसके भाई मकबूल मोहम्मद को जरिये फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी-2 सुपुर्द की जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

12- गवाह पीड-3 रामलाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि लगभग एक साल पहले सेटेलाईट हॉस्पीटल शाहपुरा की मोर्चरी में मृतका शहनाज बानू का पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

13- गवाह पीड-4 मोहम्मद अजीज ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि लगभग एक साल पहले सेटेलाईट हॉस्पीटल शाहपुरा की मोर्चरी में मृतका शहनाज बानू का पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

14- गवाह पीड-5 रोशन ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि लगभग एक साल पहले सेटेलाईट हॉस्पीटल शाहपुरा की मोर्चरी में मृतका शहनाज बानू का पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया तथा मृतका की लाश उसके भाई मकबूल मोहम्मद जरिये फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी-2 सुपुर्द की जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

15- गवाह पीड- 6 मदीना ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह कुराड़िया रहती तथा उसका पीहर कनेछन है तथा वह दो बहिन है। उसकी बहिन शहनाज बानू की शादी रहड़ में मोहम्मद अली केसाथ हुई थी। उसकी बहिन के तीन बच्चे बच्ची है। उसके जीजाजी कुछ नहीं करते है। दिनांक 29.06.2023 को वह घर पर थी उसके भाई मकबूल का फोन आया कि शाहपुरा हॉस्पीटल आ रहे थे तू भी आ जा, तो वह शाहपुरा हॉस्पीटल रात को आ गयी। यहां दूसरे दिन सुबह उसकी बहिन की लाश दिखाई जहां पुलिस ने उसका पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।उसकी बहिन अपने जीवनकाल में उसे बताया करती थी कि रूस्तम उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करता था तथा रूस्तम और उसकी बहिन की शादी आटे साटे हुई थी। ईद के दिन उसकीबात उसकी बहिन से हुई थी। उन्हें यकीन है कि उसकी हत्या उसके बेटे रूस्तम ने ही की होगी।

16- गवाह पी.ड. 7 इरफान ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्यौहार होकर वह शाहपुरा से अपने घर गया थां रूस्तम उसके पास आया और उसने कहा कि उसके साथ बाड़े में चलो उसने कहा क्या हुआ तो उसने कहा कि उसकी मां को सांप ने काट लिया फिर उसने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता तो उसने कहा कि गुर्जरों के लड़के ने उसे बताया कि उसकी मां को सांप ने काट लिया फिर वह उसकी बाईक के पीछे बैठकर वह दोनों गये रास्ते में उन्हें महम्मूद हुसैन रियान, सोहेल, समीर मिले।यह लोग भी अपनी बाईक पर थे और वह सब लोग बाड़े में गये। रूस्तम की मां जमीन पर सीधी लेटी पड़ी थी उसके मुंह से सफेद-सफेद झाग निकल रहा था वहां कोई सांप नहीं था। फिर उसने उसकी नब्जे चैक की उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। दिनांक 19.03.2017 को वह चिकित्साधिकारी के पद पर सेटेलाईट अस्पताल उसने महमुद कहा कि असलम को फोन कर कार लेकर आये तो असलम ने कहा कि वह अकरम को भेज रहा है तो अकरम कार लेकर आने की बोला। उस समय तक उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कुटी पर मृतका को बीच में बिठाकर व पीछे रियान को बिठाकर बाड़े से रोड़ तक आ गये वहां पर कार आ गयी। वह सभी ने मृतका को कार में बिठाकर शाहपुरा हॉस्पीटल लाये जहां पर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को कहा कि रूस्तम की मां को सांप ने काट लिया है फिर डॉक्टर ने चैक करके बताया कि मृतका को सांप नहीं काटा है क्योंकि सांप के काटने का कोई निशान नहीं है। मृतका के गले पर निशान होने से उन्होंने कहा कि मृतका को गला घोंटकर मारा गया है। उसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अब तककी सारी घटना बता दी फिर वह घर आ गया। रूस्तम को और उसकी मां के आपस में लड़ाई-झगड़ा प्रतिदिन होता रहता था। उसे रूस्तम पर शंका हुई थी क्योंकि रूस्तम झूंठ बोल रहा था हो सकता है कि रूस्तम ने उक्त घटना कारित की हो।

17- गवाह पीड- 8 मोहम्मद हुसैन ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्यौहार था। वह उस समय शाहपुरा अपने घर जा रहा था। रूस्तम उसे गांव में सरस डेयरी के यहां मिला

रूस्तम अपनी मम्मी को बिठाकर शाहपुरा की ओर जा रहा था। वह अपने घर पर जाकर सो गया तो सोने लगा तो उसके समीर के फोन से फोन आया तो उस पर उसके भाई सोहेल ने बात की। उसने बोला कि रूस्तम का उसके फोन आया और कहा कि उसके किसी का फोन आया कि उसकी मम्मी को सांप ने काट लिया है बाड़े में तो उसे सोहेल ने कहा कि तू भी रूस्तम के बाड़े पर आजा। वह अपने घर से बाड़े में जाने के लिये निकलातो उसे सरस डेयरी के पास रियान मिला फिर वह वहां से आगे रोड़ पर गये तो उन्हें थोड़ी दूर सोहेल, रूस्तम, इरफान व समीर सभी लोगे मिले फिर वह सभी बाड़े में चले गये बाड़े में रूस्तम की मां जमी परलेटी हुई थी जहां पर इरफान ने उसकी नब्ज चैक की थी और कहा कि उसकी नब्ज नहीं चल रही । फिर उसने असलम को कार के लिये फोन किया तो उसने अकरम को गाड़ी लेकर भेजा तो इलेक्ट्रिक स्कुटी पर इरफान आगे बैठा बीच में मृतका और पीछे से रियान ने पकड़ा और रोड़ तक लेकर गये जहां पर मृतका को कार में लिटाकर शाहपुरा हॉस्पीटल लेकर गये जहां डॉक्टर ने कहा कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई। उसे आशंका है कि रूस्तम झूठ बोल रहा था हो सकता है कि घटना उसने की हो।

18- गवाह पी0ड0 9 असलम ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्यौहार था। उसके मोहम्मद हुसैन का फोन आया कि रूस्तम की मां को सांप ने काट लिया है तू गाड़ी लेकर आजा। उसने उसके छोटै भाई अकरम को कार अल्टो देकर भिजवाया। बाड़े की तरफ जाने का रास्ता खराब था इसलिए वह वहां नहीं जा पाया और रास्ते में उसने देखा कि वह लोग शाहपुरा जा रहे थे। बाद में उसे पता चला कि उसकी मां को सांप ने नहीं काटा बल्कि उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई थी और उससे पहले दोपहर में रूस्तम उसकी मां को मोटर साईकिल पर बिठाकर बाड़े में ले गया था।

19- गवाह पी0ड0 10 साहिल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्यौहार था। उसके पास रूस्तम का लगभग 3.30 बजे फोन आया और उसने कहा कि उसकी मम्मी को सांप ने काट लिया है तो उस समय उसके साथ समीर बैठा हुआ था तो

उसने समीर को बात बताई तो समीर ने उसके चाचा के लड़के मोहम्मद को बुलाने के लिये कहा तो फिर उसने मोहम्मद को फोन कर दिया और मोहम्मद आ गया फिर वह सब लोग रोड़ परखड़े थे उसी समय रूस्तम भी इरफान को लेकर वहां आ गया फिर वह सब लोग बाड़े पर गये। वहां पर उसकी मम्मी जमीन पर पड़ी हुई थी फिर इरफान उसकी मम्मी की नब्ज देखी तो उसने कहा कि गाड़ी बुलाओ और उसको हॉस्पीटल लेकर जाना है तो असलम को फोन किया और गाड़ी मंगायी । बाड़े से रोड़ तक ले जाने के लिये स्कुटी पर इरफान ने स्कुटी चलायी और पीछे उसकी मम्मी को पकड़कर रिहान बैठा और उसको रोड़ तक ले आये फिर रोड़ पर अकरम गाड़ी लेकर आ गया जहां से उसको कार में बिठाकर शाहपुरा हॉस्पीटल लेकर आयाा वहां पता चला कि उसकी मम्मी को सांप ने नहीं काटा बल्कि गला दबाने से उसकी मृत्यु हुई थी।

20- गवाह प0ड0 11 समीर ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 29.06.2023 को ईद का त्यौहार था। साहिल के पास रूस्तम का लगभग 3.30 बजे फोन आया और उसने कहा कि उसकी मम्मी को सांप ने काट लिया है तो उस समय उसके साथ समीर बैठा हुआ था तो साहिल ने उसको बात बताई तो समीर ने उसके चाचा के लड़के मोहम्मद को बुलाने के लिये कहा तो फिर उसने मोहम्मद को फोन कर दिया और मोहम्मद आ गया फिर वह सब लोग रोड़ पर खड़े थे उसी समय रूस्तम भी इरफान को लेकर वहां आ गया फिर वह सब लोग बाड़े पर गये। वहां पर उसकी मम्मी जमीन पर पड़ी हुई थी फिर इरफान उसकी मम्मी की नब्ज देखी तो उसने कहा कि गाड़ी बुलाओ और उसको हॉस्पीटल लेकर जाना है तो असलम को फोन किया और गाड़ी मंगायी । बाड़े से रोड़ तक ले जाने के लिये स्कुटी पर इरफान ने स्कुटी चलायी और पीछे उसकी मम्मी को पकड़कर रिहान बैठा और उसको रोड़ तक ले आये फिर रोड़ पर अकरम गाड़ी लेकर आ गया जहां से उसको कार में बिठाकर शाहपुरा हॉस्पीटल लेकर आया वहां पता चला कि उसकी मम्मी को सांप ने नहीं काटा बल्कि गला दबाने से उसकी मृत्यु हुई थी।

21- गवाह पी0ड0 12 भोलूराम ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि लगभग एक साल पहले रूस्तम को उसके गांव का होने से जानता है।

घटना के एक दिन पहले उसने रूस्तम को शाहपुरा काम पर आने से पहले फोन लगाया था उसने उठाया नहीं तो वह शाहपुरा आ गया और वह शाम को वापस घर जाने के लिए फोन लगाया तो रूस्तम ने कहा कि वह तो आज काम पर नहीं आया और गांव में ही है। ईद के दिन बारीश होने सेवह काम पर नहीं आया। वह और उसकी पत्नी घर का काम कर रहे थे। उस दिन उसने रूस्तम से बात नहीं की और न ही वह उसकी मां को और न ही उनके किसी बाड़े को जानता है। उसने उसकी मां को सांप काटने वाली बात की सूचना रूस्तम को नहीं दी और न ही इस बात की उसे जानकारी है।

22- गवाह पी0ड0 15 युसुफ मोहम्मद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि आज से लगभग डेढ साल पहले उक्त प्रकरण में पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

23- गवाह पी0ड0 16 डॉ0 हीरापाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 30.06.2023 को चिकित्साधिकारी शाहपुरा चिकित्सालय के पद पर था। उस दिन पुलिस थाना शाहपुरा की तहरीर पर मृतका श्रीमती शहनाज बानो निवासी रहड़ की लाशका मेडिकल बोडर् से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की । पुलिस थाना शाहपुरा की तहरीर प्रदर्श पी-7 पर उसके, डॉ0 अभय धाकड़ व डॉ0 सोनिया के हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम् रिपोर्ट में मृतका का मृत्यु का समय 12 से 16 घण्टे पोस्टमार्टम करने के समय था। पोस्टमार्टम में राईगर मोर्टिस पूरी बाडी पर था। पोस्टमार्टम् लिविडिटी दोनों कंधे व कुल्हे के पीछे थे। मुंह से झाग थे। शरीर पर नीलगु था जो दो से0मी0 गले में फंदे के निशान के उपर था। नीलगु सात गुणा पांच से0मी0 जो दांयी भुजा के उपरी हिस्से पर था, नीलगु बांयी जांघ पर नीचले हिस्से पर अंदर की तरफ था। लिगाचर मार्क 11 से0मी0 गुणा चार मि0मी0 था जो गर्दन के मध्य में आगे की तरफ था। आंखों की पुतली फैली हुई थी। गर्दन की तीसरी हडडी में स्पाईनल प्रोसेस का फ्रैक्चर था। ब्रेन की मेमरेन एवं ब्रेन कन्जेस्टेड था। प्ल्यूरा कन्जेस्टेड, लेरिन्क्स एड ट्रेकिया कन्जेस्टेड था, दोनों फेफडे कन्जेस्टेड थे और कट करने पर क्रिपिटस मौजूद थे। हार्ट

की झिल्ली कन्जेस्टेड थी। पोस्टमार्टम के बाद में बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचा कि मृतका शहनाज बानो पत्नी मोहम्मद अली की मृत्यु का कारण ऐस्पेक्सिया ड्यू टू स्ट्रेमूलेशन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 पर मेडिकल बोर्ड की राय व उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के अंडरगारमेंन्ट सील करके पुलिस को सुपुर्द किये।

24- गवाह पी0ड0 17 रमेश ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा पर कानि0 के पद पर तैनात होकर उस दिन थानाधिकारी राजकुमार नायक ने पुलिस थाना शाहपुरा की एफआईआर संख्या 208/2023 धारा 302 भा0द0सं0 में मुल्जिम रूस्तम अली को उसमे सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 गिरफतार किया, उसके बाद दिनांक 02.07.2023 को मुल्जिम रूस्तम अली ने जहां अपनी मां शहनाज बानों का गला घोंटकर हत्या की उस स्थान का जाप्ते के आगे चलकर तस्दीक करवाई फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-10 है, उसके बाद उसी दिन आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई साफी जब्त करवाई जो फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 है, बरामदगी स्थल साफी का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12, उसके बाद मुल्जिम ने घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल जब्त करवाई जो प्रदर्श पी-13 है, मोटर साईकिल की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 है उक्त सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है।

25- गवाह पी0ड0 18 गजराज ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि लगभग दो साल पहले गांव रहड़ की बात है पुलिस वाले उसके पास आये और सीसीटीवी फुटेज ले गये । धारा 65 बी प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर है।

26- गवाह पी0ड0 19 मुकेश ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा पर कानि0 के पद पर तैनात होकर उस दिन थानाधिकारी राजकुमार नायक ने पुलिस थाना शाहपुरा की एफआईआर संख्या 208/2023 धारा 302 भा0द0सं0 में मुल्जिम रूस्तम अली को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 गिरफतार किया । उसके बाद दिनांक 02.07.2023 को मुल्जिम रूस्तम अली ने जहां अपनी मां शहनाज बानों का गला घोंटकर हत्या की उस स्थान का

जाप्ते के आगे चलकर तस्दीक करवाई फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-10 है, उसके बाद उसी दिन आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई साफी जब्त करवाई जो फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 है, बरामदगी स्थल साफी का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12, उसके बाद मुल्जिम ने घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल जब्त करवाई जो प्रदर्श पी-13 है, मोटर साईकिल की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 है उक्त सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है।

27- गवाह पी0ड0 20 डॉ0 वीरभान ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 29.04.2023 को भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदस्थपित होकर उस दिन शहनाज बानू उसके घर पर दिखाने आयी थी जिसका परीक्षण किया तो बाई पॉलर मुड डिसआर्डर से ग्रसित थी। जिसके लिये उसने उसको दवाईयां लिखी । जिस समय वो उसके पास आयी तो उत्तेजना की स्थिति थीं शारीरिक रूपे से स्वस्थ थी। उक्त पर्ची प्रदर्श पी-16 पर उसके हस्ताक्षर है।

28- गवाह पी0ड0 21 हर्ष मीणा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 30.06.2023 को मोबाईल फोरेंसिक प्रभारी भीलवाड़ा में पदस्थापित होकर उक्त दिनांक को पुलिस कंट्रोल रूम भीलवाड़ा से एक रस्सी द्वारा महिला की हत्या थाना सीमा शाहपुरा में होना बताया। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 30.06.2023 को किया गया। घटनास्थल पर उसके द्वारा संदिग्ध स्थान की फोटोग्राफी की जिसकी कुल सख्या 2 प्रदर्श पी-17 व 18 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सील मोहर है। उसके द्वारा उक्त फोटोग्राफ घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दिनांक 14.07.2023 को दिये गये जो प्रदर्श पी-19 लगायत प्रदर्श पी-21 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर फोरेंसिक सील अंकित है।

29- गवाह पी0ड0 22 मिश्रीलाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया वह दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा पर हैड कानि0 होकर मालखाना इंचार्ज था। उस दिन प्रकरण संख्या 208/2023 धारा 302 भा0द0सं0 में अनुसंधान अधिकारी राजकुमार ने जब्तशुदा आर्टिकल जमा करवाये जिसे उसने मालखाना रजिस्टर में क्रमांक 545 में इन्द्राज

कर जमा किये। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-22 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व इन्द्राज है जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी-22ए है। उसके अगले दिन इसी प्रकरण में थानाधिकारी राजकुमार ने जब्तशुदा आर्टिकल जमा करवाये जो प्रदर्श पी-23 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व माल का अंकन है। जिसकी प्रति प्रदर्श पी-23ए है।

30- गवाह पी0डी0 23 रईस मोहम्मद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि रूस्तम उसके मामाजी का लड़का है जो नाबालिग होने के कारण उसने उसके नाम से एक सिम खरीदी थी जिसके नंबर 6377437243 है। रूस्तम इसी सिम का इस्तेमाल करता था। उसने कार्तिक मोटर से एक मोटर साईकिल भी खरीदी थी। उसके बाद रूस्तम शाहपुरा में टायर रिपेयरिंग का काम करने लग गया था।

31- गवाह पी0डी0 24 राजकुमार नायक ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 30.06.2023 को थाना शाहपुरा पर थानाधिकारी के पद पर तैनात होकर उस दिन शाहपुरा अस्पताल में श्री मकबूल मोहम्मद ने एक रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 302, 341 भा0द0सं0 का आने पर वह एसएचओ मशरूफ तफतीश रहा। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। थाना वापसी पर अभियोग संख्या 208/2023 दर्ज की गई। जिसका पृष्ठांकन ई से एफ व जी से एच पर उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी-24 है । दौराने अनुसंधान मृतका का उन्होंने पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया । जिन पर उसके हस्ताक्षर है। मृतका का जरिये मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम् कराया । जिसकी मेडिकल बोर्ड गठित करने की तहरीर प्रदर्श पी-7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है। मृतका की लाश को दफा करने बाबत परिवार वालों को सुपुर्द की गई फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी-2 है जिस उसके व गवाहान के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान मकबूल मोहम्मद की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूस्तम को बाद पूछताछ काबिल गिरफतारी जुर्म साबित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-9 गिरफतार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूस्तम ने

स्वैच्छया धारा 27 की सूचना उसे दी जिस पर उसने ईद के दिन उसकी मां को रहड़ गांव में स्थित उनके बाड़े के विवाद होने से दौरान गुस्से में आकर धक्का देकर पेट के बल जमीन पर गिरा दिया तथा उसकी पीठ और जांघ पर अपने घुटने टिकाकर साफी से गला घोंटकर मार दिया वह स्थाल वह चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी-25 पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आरोपी रूस्तम ने दौराने अनुसंधान उसको इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचना साफी के संबंध में प्रदर्श पी-27 है जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। मुल्जिम द्वारा प्रदत्त इत्तला प्रदर्श पी-25 की तस्दीक उसके द्वारा मुल्जिम को हमराह घटनास्थल पर पहुंचकर कराई जिसका तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-10 बनाया जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मुल्जिम द्वारा प्रदत्त इत्तला प्रदर्श पी-26 की तस्दीक हेतु मुल्जिम ने इत्तला के मुताबिक गांव रहड़ में मुल्जिम ने आगे चलकर अपने घर के बाहर पहुंचकर जहां पर एक मोटर साईकिल मुताबिक सूचना मुल्जिम के घर के बाहर खड़ी जिस पर वक्त घटना अपनी मां को बिठाकर बाड़े पर ले जाना बताया उक्त मोटर साईकिल को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13 जब्त किया जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-14 बनाया जिस पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। मुल्जिम के द्वारा दौराने अनुसंधान प्रदत्त इत्तला प्रदर्श पी-27 हेतु तस्दीक मुताबिक इत्तला आगे-आगे चलकर रहड़ स्थित अपने बाड़े में प्रवेश कर रखी लोहे की चादरो के नीचे से निकालकर एक साफी पेश कर उक्त साफी से उसकी मां का गला घोटा बताया जिसको वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया। फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 है तथा फर्द जब्ती साफी के स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 है जिन पर उसके व मुल्जिम के हस्ताक्षर है। घटनास्थल का फोरेंसिक यूनिट भीलवाड़ा के द्वारा भी निरीक्षण किया गया तथा फोटोग्राफ मय रिपोर्ट के प्रेषित की जो प्रदर्श पी-17 लगायत पी-21 है। गांव रहड़ में एक सरस डेयरी स्थित है जो मुल्जिम के मकान के रास्ते में स्थित है पर जहां के संचालकर गजराज पुत्र राजकुमार जाट जिन्होंने सुरक्षार्थ डेयरी की दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखा है जो रोड़ को कवर करता है। उक्त कैमरे को

चैक किया गया तो दिनांक 29.06.2023 को समय 1.47 पी0एम0 पर आरोपी रूस्तम मोटर साईकिल लेकर अपने घर से बस स्टेण्ड की ओर जाता दिखाई दे रहा था तथा 1.52 पी0एम0 पर वापस रूस्तम बस स्टेण्ड से अपने घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है तथा 2.40 पी0एम0 रूस्तक अपनी मोटर साईकिल पर अपनी मां को बिठाकर घर से बस स्टेण्ड की ओर जाता दिखाई दे रहा है। उक्त सीसीटीवी फुटेज डेयरी संचालक गजराज के मोबाईल नंबर 8233666444 में सुरक्षित थे जिन्हें एक पेन ड्राईव में लिया जाकर शामिल पत्रावली किया तथा गजराज द्वारा प्रमाण-पत्र अंतर्गत धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 अलग से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गजराज के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराये गये उसके चार फोटोग्राफ शामिल पत्रावली है जिसमें से एक फोटो रूस्तम अपनी मां को मोटर साईकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी रूस्तम का मोबाईल नंबर 6377437243 है। आरोपी ने दौराने पूछताछ बताया कि उसकी मां को सांप ने काट लिया। इस बाबत की जानकारी उसे एक गुर्जर ने दी जिसके मोबाईल नंबर 9571022477 है। आरोपी की सीडीआर अवलोकन किया गया। आरोपी के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को समय 4.21 पी0एम0 पर एक इनकमिंग कॉल 9571022477 नंबर से आया है ना कि 29.06.2023 को। घटना 29.06.2023 की है 28.06.2023 की नहीं है तथा 9571022477 मोबाईल नंबर कोई गुर्जर नहीं होकर आरोपी के गांव का ही भोलाराम रेगर का नंबर है जिसके बयान लिये जाने पर दिनांक 28.06.2023 को ही रूस्तम को फोन करना बताया है 19.06.2023 को नहीं जिससे स्पष्ट है कि आरोपी ने घटना को छिपाने के लिये मनगढ़ंत तथ्य का इस्तेमाल किया। दिनांक 29.06.2023 जो कि घटना की तारीख है उस दिन रूस्तम की लोकेशन उसके गांव और शाहपुरा के आसपास प्रकट होती है। फर्द विश्लेषण सीडीआर प्रदर्श पी-29 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रूस्तम के मोतबाईल नंबर 6377437243 की दिनांक 28.06.2023 से 29.06.2023 तक की सीडीआर की संलग्न पत्रावली है जिसके अवलोकन से भी उक्त विश्लेषण की पुष्टि होती है। आरोपी के

मोबाईल नंबर 6377437243 की कैफ आडी व 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सीओ साहब के मार्फत पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को एक तहरीर प्रदर्श पी-30 जारी की जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तहरीरी की पालना में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 35323-24 दिनांक 10.07.2023 के मार्फत एक 65 बी का प्रमाण-पत्र मय कैफ आडी शामिल पत्रावली है। 65 बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 है, कैफ आईडी प्रदर्श पी-32 कुल 13 पेज में है। आरोपी रूस्तम की मोटर साईकिल नंबर आर0जे0-01-एसएस-1260 को आरोपी ने कार्तिक मोटर से खरीदी जिसके इकरारनामे की फोटो प्रति प्रर्श पी-33 है तथा आर0सी0 प्रदर्श पी-34 है। उसके पश्चात उसका स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली थाना शाहपुरा को सुपुर्द की। प्रकरण में जब्तशुदा साफी सीलचिट अवस्था में पेश की जो आर्टिकल ए1 है जिस पर एक्स से वाई जब्ती का अंकन होकर ए से बी, सी से डी गवाहान और ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है।

32- गवाह पी0ड0 25 कल्पना राठौड़ ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 08.09.2023 को वह पुलिस थाना शाहपुरा पर थानाधिकारी के पद पर तैनात होकर शाहपुरा थाने के प्रकरण संख्या 208/2023 धारा 302 भा0द0सं0 की पत्रावली उसे अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। जिस पर उसने दौराने अनुसंधान देवकिशन, डॉ0 वीरभान व रईस मोहम्मद के बयान धारा 161 सीआरपीसी में उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर मुल्जिम रूस्तम के विरूद्ध अपराध धारा 302 भा0द0सं0 में अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया जिसकी चार्जशीट कताकर न्यायालय में पेश की। चार्जशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

33- गवाह पी0ड0 26 सचिव राठी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि वह दिनांक 10.07.2023 को रिलायंस जीओ इन्फोकॉम एफ 202-204 में नोडल अधिकारी जीओ इन्फोकाम के पद पर कार्यरत था। उस दिन जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की तहरीर प्रदर्श पी-35 पर उसने मोबाईल नंबर 6377437243 की कॉल डिटेल व कैफ कापी मय धारा

65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत की प्रमाणित प्रति जारी की 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 व कैफ आडी एवं कॉल डिटेल प्रदर्श पी-32 है जो कुल 13 है जिन पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर गोल मोहर अंकित है।

34- उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली व समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

35- पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए इस प्रकरण में समस्त परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाना है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सर्वमान्य न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1984 (एससी) 1622 शरद बिड़दीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य महत्वपूर्ण है। उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च्तम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के लिये निम्न स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किए है-

(1) The Circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should by fully established.
It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned must of should' and may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between ' may be proved' and must be or should be proved' as was held by this court in Shivaji Sahebrao Bobade Vs State of Maharashtra (1973)2 Sec 793 Where the following observations were made:
(2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.
(3) The circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
(4) They should exclud every possible hypothesis execpt the one to be proved, and
(5) There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence

of the accused and must show that is all human probability the act must have been done by the accused.

36- उक्त स्वर्णिम सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय को यह देखना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी भी निष्कर्ष के युक्तियुक्त आधारों को नहीं छोड़ते हुए परिस्थितियों की समस्त श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए तथा यह श्रृंखला ऐसी दर्शित करने वाली होनी चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओ में अभियुक्त द्वारा ही आरोपित अपराध किया जाना चाहिए,न कि ऐसी संभावना विद्यमान हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी ऐसा किया जाना संभव हो।

37- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां कोई प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ आशय एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रूप में होता है और समस्त कड़िया आशय से सह संबंधित होनी चाहिए, यदि एक भी कड़ी का अभाव हो, वहॉ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला साबित नहीं माना जा सकता एवं इस कड़ी में आशय एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2021(एससी)3748 परूबी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा 2023 लिवलॉ (एससी)132 इन्द्रजीतदास/त्रिपुरा राज्य से स्पष्ट है । अतः उपर्युक्त माननीय न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त कर हस्तगत प्रकरण में निम्न कड़ियां पाई जाती है -

(1) आया मुल्जिम का अपनी मृतका मां के साथ आये दिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता था ?

(2) आया मुल्जिम मृतका शहनाज बानू की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार उसके साथ विद्यमान था ?

(3) आया मुल्जिम के पास अपनी मां शहनाज बानू की हत्या कारित करने का पर्याप्त मोटिव था ?

(4) आया मृतका शहनाज बानू की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी ?

(5) आया अभियुक्त ने अपनी मां शहनाज बानू का साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी ?

(6) आया अभियुक्त अंतर्गत धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में कैसे हुई ?

38- उपरोक्त अभिनिर्धारित समस्त संभाव्य कड़ियों का बिन्दुवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है -

<u>कड़ी संख्या -01 -</u>

आया मुल्जिम का अपनी मृतका मां के साथ आये दिन लड़ाई- झगड़ा होता रहता था ?

39- इस कड़ी के संबंध में मुख्य रूप से विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त की मां शहनाज बानू मानसिक बीमारी से ग्रसित थी, जिससे परेशान होकर अभियुक्त आये दिन अपनी मां से मारपीट किया करता था। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से मृतका शहनाज बानू के साथ अभियुक्त द्वारा अथवा उसके परिवारजन में से किसी के द्वारा कोई लड़ाई-झगड़ा या मारपीट किये जाने की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही पूर्व में ऐसी तथाकथित मारपीट बाबत थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, इसलिये अभियुक्त द्वारा अपनी मृतका माँ के साथ आये दिन मारपीट किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

40- उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध् साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया । इस कड़ी के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान में से मृतका की बहिन मदीना पी0ड0 6 मुख्य गवाह रही है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह सशपथ बयान दिया है कि उसकी बहिन अपने जीवनकाल में उसे बताया करती थी कि रूस्तम उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करता था। ईद के दिन उसकी बात उसकी बहिन से हुई थी और उन्हें यकीन है कि उसकी हत्या उसके बेटे रूस्तम ने ही की होगी। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने

यह स्वीकार किया है कि रूस्तम ने उसके सामने उसकी बहिन से कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था बल्कि वह उसे फोन पर बताती थी। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि मृतका शहनाज बानू अपनी बहिन मदीना बानू से फोन पर बात करती थी और वह मदीना को यह बताया करती थी उसका बेटा रूस्तम उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करता रहता है। हालांकि उक्त गवाह पी0डी0 6 मदीना ने बताया कि अभियुक्त ने उसके समक्ष मृतका शहनाज बानू के साथ मारपीट नहीं की लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य अवश्य साबित है कि शहनाज बानू अपनी बहिन गवाह पी0डी0 6 मदीना को उसके पुत्र द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने बाबत बातें फोन पर बताया करती थी, जिससे अभियुक्त द्वारा उसकी मृतका मां शहनाज बानू के साथ आये दिन मारपीट किये जाने की पुष्टि होती है। इसी अनुक्रम में मृतका का भाई पी0डी0 1 मकबूल मोहम्मद जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी भी रहा है, ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसकी बहिन के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट की जाती थी। इसी प्रकार उक्त गवाह ने मारपीट किये जाने में मृतका के पुत्र रूस्तम का नाम भी न्यायालय के समक्ष बताया है। हालांकि उक्त गवाह ने भी जिरह में स्वयं के समक्ष अभियुक्त के द्वारा ऐसी मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार किया है लेकिन अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से ऐसी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है कि अभियुक्त ने उसकी मृतका मां शहनाज बानू के साथ आये दिन मारपीट नहीं की हो। अतः उपर्युक्त दोनों गवाहों की समग्र साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त आये दिन उसकी मृतका माता शहनाज बानू के साथ मारपीट करता था। अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार कड़ी संख्या एक आया मुल्जिम का अपनी मृतका मां के साथ आये दिन लड़ाई- झगड़ा होता रहता था, प्रमाणित पाई गई है ।

<u>कड़ी संख्या -02 -</u>

आया मुल्जिम मृतका शहनाज बानू की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार उसके साथ विद्यमान था ?

41- उक्त कड़ी के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजक का मुख्य रूप से बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि दिनांक 29.06.2023 को घटना से पूर्व आरोपी रूस्तम द्वारा अपनी मां शहनाज बानों को मोटर साईकिल पर बैठाकर घर से बस स्टेण्ड की तरफ रवाना होने की सीसीटीवी फुटेज से ताईद होती है तथा उक्त दोनों को जाते हुए को गवाह मोहम्मद हुसैन द्वारा देखना साबित है आगे बहस में निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि घटना के बाद आरोपी रूस्तम द्वारा घटनास्थल से अपने परिवार व जान पहचान के लड़कों को फोनकर अपनी मां को सांप काटने की अफवाह फैलाई गई, मुल्जिम द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6377437243 से सभी को सूचना दी गई जिस पर गवाह इरफान, मोहम्मद हुसैन, रेहान, समीर, सोहेल मौके पर आये तथा सभी को मुल्जिम रूस्तम द्वारा सांप काटने की बात बताई गई तथा वहां से गाड़ी कर अस्पताल ले जाया गया तथा डॉक्टर द्वारा सांप नहीं काटकर हत्या होने का अंदेशा होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिससे उक्त घटनाक्रम में मुल्जिम रूस्तम का ही हर जगह पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहना प्रमाणित है।

42- खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की मुख्य रूप से यह बहस रही है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं करवाया जा सका है कि मृतका शहनाज बानू की मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्त उसके साथ था। बहस में आगे उन्होंने निवेदन किया है कि अभियोजन ने हस्तगत प्रकरण लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित माना है लेकिन इसके संबंध में जो सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किये गये हैं उससे संबंधित धारा 65बी के प्रमाण-पत्र को गवाह पी0डी0 18 गजराज के द्वारा साबित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त के मोबाईल एवं अन्य गवाहान के मोबाईल की जो सीडीआर प्रस्तुत की गयी है, उसमें मौके पर अभियुक्त की उपस्थिति का बाबत समय अंतराल होना पाया गया है। अतः अभियुक्त को लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण

क्रिमिनल अपील संख्या 1387 सन 2012 हंसराज बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ निर्णय दिनांक 10.02.2025, न्यायिक दृष्टांत 2014(3) सी0जे0 (क्रिमि.)(एससी) 722 कन्हेयालाल बनाम स्टेट आफ राज0 एवं न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रमित अपील नंबर...सन 2025 SPL(क्रिमि.) नं. 17440 सन 2024 पदमन विभार बनाम स्टेट आफ उड़ीसा पेश किये गये।

43- उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया ।

44- इस कड़ी के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी0ड0 8 मोहम्मद हुसैन रहा है। उक्त गवाह ने यह सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 29.06.2023 को ईद के त्यौहार के दिन जब वह शाहपुरा से अपने घर (रहड़) जा रहा था तब उसे मुल्जिम सरस डेयरी के पास मिला था वह अपनी मम्मी को बिठाकर शाहपुरा की तरफ जा रहा था। उसके बाद यह गवाह अपने घर चला गया और सोने लगा तो इसके फोन पर समीर का फोन आया जिसे उसके भाई सोहेल ने उठाकर बात की । उसने बोला कि रूस्तम का उसके फोन आया और कहा कि उसके किसी का फोन आया कि उसकी मम्मी को सांप ने बाड़े में काट लिया है, तो सोहेल ने उसे कहा कि तू भी रूस्तम के बाड़े पर आ जा। प्रतिपरीक्षण में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह के उपरोक्त कथनों का खण्डन नहीं करवाया जा सका है, मात्र जिरह में उक्त गवाह का यह कथन रहा है कि जब उसने रूस्तम और उसकी मां को डेयरी के पास देखा तब उसकी उससे कोई बात नहीं हुई थी किंतु उक्त गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि उसने रूस्तम को उसकी मां के साथ गाड़ी पर बिठाकर शाहपुरा की ओर जाते हुए नहीं देखा हो। इस प्रकार उक्त गवाह अभियुक्त द्वारा उसकी मां को मोटर साईकिल पर बैठाकर शाहपुरा की तरफ ले जाते समय देखे जाने के संबंध में किये गये कथनों पर प्रतिपरीक्षण में पूर्णतया अडिग रहा है, जिससे इस गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय पायी जाती है और यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि इस गवाह ने दिनांक 29.06.2023 को ईद के दिन

अर्थात घटना के दिन अभियुक्त को उसकी मृतका मां शहनाज बानू को गाड़ी पर बिठाकर शाहपुरा की तरफ ले जाते हुये देखा था।

45- अब हमें इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि क्या इस गवाह ने जब अभियुक्त को उसकी मां शहनाज बानू को मोटर साईकिल पर बिठाकर शाहपुरा की तरफ ले जाते समय देखा था वह समय उसकी मां की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार का समय था अथवा नहीं ? इस संबंध में इस गवाह की साक्ष्य का पुनः सूक्ष्मता से विश्लेषण व विवेचन किये जाने से यह तथ्य जाहिर होता है कि जब इस गवाह ने अभियुक्त को उसकी मां के साथ मोटर साईकिल पर बिठाकर शाहपुरा की ओर ले जाते हुए देखा उसके तुरंत बाद ही यह गवाह अपने घर रहड़ चला गया और जब वह सोने लगा तो तभी उसी समय उसके पास समीर का फोन आया जिसे उसके भाई सोहेल ने उठाया और कहा कि उसे रूस्तम ने फोन करके बताया है कि रूस्तम को किसी ने फोन किया है और यह बात बतायी है कि बाड़े में उसकी मम्मी को सांप ने कांट लिया अर्थात जब अभियुक्त की मां को उसके कथनानुसार सांप ने काटा उसके ठीक पूर्व गवाह पी0ड0 8 मोहम्मद हुसैन ने अभियुक्त के साथ उसकी मां शहनाज बानू को अंतिम बार मोटर साईकिल पर साथ में देखा था क्योंकि उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त व उसकी मां को एक साथ देखने के बाद वह अपने घर सोने चला गया था और उसी समय समीर का उपरोक्त वर्णितानुसार फोन आया था जो कि एक निरंतर घटित होने वाले तथ्यों का समूह है । अतः उक्त गवाह की अखण्डनीय साक्ष्य से एवं उपर्युक्त विवेचानुसार यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि इस गवाह ने अभियुक्त को उसकी मां शहनाज बानू के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार देखा था। इसके अतिरिक्त साथ में देखे जाने के तथ्य की पुष्टि अभियुक्त के स्वयं के इस आचरण से भी होती है कि जबकि वह अपनी मृतका माता के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार स्वयं ही उपस्थित था तो भी उसने गवाहान पी0ड0 7 इरफान, पी0ड0 9 असलम, पी0ड0 10 साहिल एवं पी0ड0 11 समीर को यह झूठ क्यों बोला कि उसकी मां को बाड़े में सांप ने काट लिया है। इस संदर्भ में गवाह पी0ड0 8 मोहम्मद हुसैन ने भी यह कथन किया है कि

जब अभियुक्त की मृतका मां को गाड़ी में लिटाकर शाहपुरा हॉस्पीटल में लेकर गये तो डॉक्टर ने उसकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं होना बताई बल्कि गला घोंटने से हुई है, इस प्रकार अभियुक्त की माँ की मृत्यु गला घोंटने से होना दर्शित है फिर भी अभियुक्त ने यह झूठ बोला कि उसकी मां को बाड़े में सांप ने काट लिया है जबकि वास्तविकता में उसकी मां को सांप ने नहीं काटा था। अतः अभियुक्त के स्वयं के आचरण से यह प्रमाणित है कि वह अपनी मां शहनाज बानू की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार साथ में विद्यमान था फिर भी उसने तथ्य छिपाने के लिये उपर वर्णितानुसार झूठी कहानी बनाते हुए गवाहान पी0डी0 7 इरफान, पी0डी0 9 असलम, पी0डी0 10 साहिल एवं पी0डी0 11 समीर को साँप से काटे जाने की झूंठी कहानी बताई ।

46- अभियोजन की ओर से मुल्जिम को उसकी मां के साथ अंतिम बार देखे जाने के संबंध में ग्राम रहड़ में स्थित सरस डेयरी की रोड़ की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्रदर्श पी-28 व धारा 65बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिनांक 29.06.2023 को समय 2.25 पी0एम0 पर अभियुक्त मोटर साईकिल पर उसकी मां शहनाज बानू को बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। उक्त सीडीआर के संबंध में अभियोजन की ओर से गवाह पी0डी0 18 गजराज डेयरी संचालक को पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिसने यह सशपथ बयान दिया है कि पुलिस वाले उसके पास आये थे और सीसीटीवी फुटेज ले गये थे । धारा 65बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है लेकिन उक्त गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि समय अधिक हो जाने के कारण उसे यह ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिये या नहीं तथा प्रदर्श पी-15 पर क्या लिखा पढ़ी की उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह समय अधिक हो जाने से उपरोक्त तथ्यों बाबत ध्यान नहीं होना कहता है लेकिन उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई जिरह नहीं की गई है कि धारा 65बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हो। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रदर्श पी-15 पर इसके हस्ताक्षर होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

इस बाबत अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 राजकुमार नायक ने भी यह सशपथ बयान दिया है कि गांव रहड़ में एक सरस डेयरी स्थित है जो मुल्जिम के मकान के रास्ते पर स्थित है, जहां के संचालक गजराज पुत्र राजकुमार जाट है, जिन्होंने सुरक्षार्थ डेयरी की दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखा है जो रोड़ को कवर करता है। उक्त कैमरे को चैक किया गया तो दिनांक 29.06.2023 को समय 1.47 पी0एम0 पर आरोपी रूस्तम मोटर साईकिल लेकर अपने घर से बस स्टेण्ड की ओर जाता दिखाई दे रहा था तथा 1.52 पी0एम0 पर वापस रूस्तम बस स्टेण्ड से अपने घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है तथा 2.40 पी0एम0 रूस्तक अपनी मोटर साईकिल पर अपनी मां को बिठाकर घर से बस स्टेण्ड की ओर जाता दिखाई दे रहा है। उक्त सीसीटीवी फुटेज डेयरी संचालक गजराज के मोबाईल नंबर 8233666444 में सुरिक्षत थे जिन्हें एक पैन ड्राईव में लिया जाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा गजराज द्वारा प्रमाण-पत्र अंतर्गत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अलग से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी गजराज के हस्ताक्षर है एवं सी से डी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर उसके हस्ताक्षर है। गजराज के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराये गये थे उसके चार फोटोग्राफ शामिल पत्रावली है जिसमें से एक फोटो में रूस्तम अपनी मां को मोटर साईकिल पर बैठकार ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में जो उपरोक्त सशपथ बयान दिये है उसके संबंध में वह प्रतिपरीक्षण में पूर्ण रूप से अखण्डित रहा है और इसने धारा 65बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-15 पर ए से बी स्थान पर पी0ड0 18 गजराज तथा सी से डी स्थान पर इसके स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किये हैं और सीसीटीवी फुटेज की चार फोटो शामिल पत्रावली किया जाना बताया है जिनमें अभियुक्त रूस्तम मोटर साईकिल पर अपनी मां को बिठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है जिरह के दौरान उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सीसीटीवी फुटेज में 2.40 पी0एम0 पर रूस्तम द्वारा अपनी मां को मोटर साईकिल द्वारा ले जाना और उसमें रूस्तम व उसकी मां साफ-साफ नजर आते है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है

कि अभियोजन ने घटना के दिन समय 2.40 पी0एम0 पर मोटर साईकिल पर रूस्तम के साथ शहनाज बानू का बैठकर जाना बताया है जबकि रूस्तम द्वारा साहिल को फोन पर 3.29 पी0एम0 पर शहनाज बानू की मृत्यु की जानकारी दी गई। इस समयावधि के मध्य 45 मिनिट का अंतराल रहा है, तब तक रूस्तम कहा था और घटना किस प्रकार घटित हुयी इस बारे में संशय है क्योंकि इतने लंबे समय के मध्य उक्त घटना किसी और व्यक्ति द्वारा कारित की जा सकती है और मृत्यु का कारण अन्य भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक दृष्टांतों में लास्ट सीन थ्योरी वाले केसों में अंतिम समय देखे जाने व मृत्यु के समय के मध्य अंतर को अभियुक्त के पक्ष में माना है और अभियुक्त को दोष से उन्मोचित किया है। इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त रूस्तम ने गवाह साहिल को 3.29 पी0एम0 पर अपनी मां शहनाज बानू की मृत्यु की सूचना दी थी लेकिन समय 3.29 पी0एम0 से पूर्व ही गवाह पी0ड0 8 मोहम्मद हुसैन ने रूस्तम को उसकी मां की मृत्यु के ठीक पूर्व अंतिम बार मोटर साईकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा था, जिसका विस्तृत विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उपर्युक्त वर्णित तर्क माने जाने योग्य नहीं होकर उन्हें कोई सहायता नहीं पहुंचाता है । अतः लास्ट सीन थ्योरी के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रिमिनल अपील संख्या 1387 सन 2012 हंसराज बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ निर्णय दिनांक 10.02.2025, न्यायिक दृष्टांत 2014(3) सी0जे0 (क्रिमि.)(एससी) 722 कन्हैयालाल बनाम स्टेट आफ राज0 एवं न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रमित अपील नंबर...सन 2025 SPL(क्रिमि.) नं. 17440 सन 2024 पदमन विभार बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों की भिन्नता के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

47- इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 राजकुमार नायक की अखण्डनीय साक्ष्य से एवं उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियुक्त का

उसकी मां शहनाज बानू को उसकी मृत्यु से पूर्व मोटर साईकिल पर बैठाकर ले जाना सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है और उक्तानुसार किये गये विवेचन तथा गवाह पी0ड0 8 मोहम्मद हुसैन की विश्वसनीय साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त उसकी मां शहनाज बानू की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार उसके साथ विद्यमान था ।

48- इसी अनुक्रम में अभियोजन की ओर से मुल्जिम के मोबाईल नंबर 6377437243 की कॉल डिटेल, फर्द विश्लेषण रिपोर्ट सीडीआर प्रदर्श पी-29 तथा धारा 65बी प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 भी प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 राजकुमार नायक ने अपनी मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि आरोपी रूस्तम का मोबाईल नंबर 6377437243 है। आरोपी ने दौराने पूछताछ बताया कि उसकी मां को सांप ने काट लिया। इस बाबत की जानकारी उसे एक गुर्जर ने दी जिसके मोबाईल नंबर 9571022477 है। आरोपी की सीडीआर अवलोकन किया गया। आरोपी के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को समय 4.21 पी0एम0 पर एक इनकमिंग कॉल 9571022477 नंबर से आया है न कि 29.06.2023 को। घटना 29.06.2023 की है 28.06.2023 की नहीं है तथा 9571022477 मोबाईल नंबर कोई गुर्जर नहीं होकर आरोपी के गांव का ही भोलाराम रेगर का नंबर है जिसके बयान लिये जाने पर दिनांक 28.06.2023 को ही रूस्तम को फोन करना बताया है 28.06.2023 को नहीं, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी ने घटना को छिपाने के लिये मनगढ़ंत तथ्य का इस्तेमाल किया। दिनांक 29.06.2023 जो कि घटना की तारीख है उस दिन रूस्तम की लोकेशन उसके गांव और शाहपुरा के आसपास प्रकट होती है। फर्द विश्लेषण सीडीआर प्रदर्श पी-29 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रूस्तम के मोबाईल नंबर 6377437243 की दिनांक 28.06.2023 से 29.06.2023 तक की सीडीआर की संलग्न पत्रावली है जिसके अवलोकन से भी उक्त विश्लेषण की पुष्टि होती है। आरोपी के मोबाईल नंबर 6377437243 की कैफ आडी व 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सीओ साहब के मार्फत पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को एक तहरीर प्रदर्श

पी-30 जारी की जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर की पालना में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 35323-24 दिनांक 10.07.2023 के मार्फत एक 65 बी का प्रमाण-पत्र मय कैफ आडी शामिल पत्रावली है। 65 बी का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 है, कैफ आईडी प्रदर्श पी-32 कुल 13 पेज में है। आरोपी रूस्तम की मोटर साईकिल नंबर आर0जे0-01-एसएस-1260 को आरोपी ने कार्तिक मोटर से खरीदी जिसके इकरारनामे की फोटो प्रति प्रर्श पी-33 है तथा आर0सी0 प्रदर्श पी-34 है। उसके पश्चात उसका स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली थाना शाहपुरा को सुपुर्द की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अनुसंधान अधिकारी के उपरोक्त् सशपथ बयानों का किसी भी तरह से कोई खण्डन प्रति परीक्षण में नहीं कराया जा सका है, जिससे उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन अखण्डनीय होकर युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित है। गवाह पी0ड0 26 सचिन राठी ने उक्त धारा 65 प्रमाण-पत्र एवं कॉल डिटेल के संबंध में यह बयान दिया है कि वह दिनांक 10.07.2023 को रिलायंस जीओ इंफोकाम एफ-202-204 में नोडल अधिकारी जीओ इन्फोकॉम के पद पर कार्यरत होकर उस दिन जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की तहरीर प्रदर्श पी-35 पर उसने मोबाईल नंबर 6377437243 की कॉल डिटेल व कैफ कॉपी मय धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत की प्रमाणित प्रति जारी की 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 व कैफ आई डी व कॉल डिटेल प्रदर्श पी-32 है जो कुल 13 किता है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर गोल मोहर रिलायंस जीओ इंफोकॉम लिमिटेड राजस्थान अंकित है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि सिम कैफ आईडी जो जारी की गयी वह अभियुक्त रूस्तम के नाम नहीं है, इस संबंध में प्रदर्श पी-32 जिस रईस मंसुरी के नाम अभियुक्त का मोबाईल नंबर होना बताया गया है वह रईस मोहम्मद मंसुरी गवाह पी0ड0 23 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने यह सशपथ बयान दिया है कि रूस्तम उसके मामाजी का लड़का था वो नाबालिग होने के कारण उसने उसके नाम से एक सिम खरीदी थी जिसके नंबर 6377437243 है। रूस्तम इसी सिम का इस्तेमाल करता था। उसने कार्तिक मोटर से एक मोटर साईकिल भी खरीदी थी। उसके

बाद रूस्तम शाहपुरा में टायर रिपेयरिंग का काम करने लग गया था। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी0डी0 24 राजकुमार नायक, गवाह पी0डी0 26 सचिन राठी तथा गवाह पी0डी0 23 रईस मोहम्मद एवं दस्तावेजी साक्ष्य फर्द विश्लेषण सीडीआर प्रदर्श पी-29, धारा 65 बी प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-31 एवं आई डी प्रदर्श पी-32 से एवं उक्तानुसार किये गये विवेचन से भी यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त की वक्त घटना की लोकश रहड़ गांव व शाहपुरा के आसपास की ही रही थी और उस समय वह मोबाईल नंबर 6377437243 उपयोग में ले रहा था, जो गवाह पी0डी0 23 रईस मोहम्मद के नाम की सिम थी। अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त उसकी मां शहनाज बानू के साथ अंतिम बार उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व उपस्थित था। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार कड़ी संख्या दो भी प्रमाणित पायी जाती है।

<u>**कड़ी संख्या -3 -**</u>

आया मुल्जिम के पास अपनी मां शहनाज बानू की हत्या कारित करने का पर्याप्त हेतुक था ?

49- अभियोजन कहानी के अनुसार बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरूद्ध इस आधार पर आरोप-पत्र प्रस्तत किया गया कि मृतका शहनाज बानो का पति मोहम्मद अली किसी प्रकार का काम धाम नहीं करता है तथा घर पर ही रहता है तथा मृतका का छोटा लड़का साहिल मोहम्मद भीलवाड़ा में होटल में काम करता है एवं मुल्जिम रूस्तम तथा उसकी छोटी बहिन शबनम की शादी आटा साटा में हुयी थी। इस शादी में मुल्जिम की मां मतका शहनाज बानो ने मुल्जिम की पत्नी के आभुषण डाले थे मगर मुल्जिम ने अपनी बहिन को किसी प्रकार का आभुषण नहीं पहनाये थे। जिस बात को लेकर मुल्जिम की मां आये दिन उसके अपनी लड़की शबनम बानो के गहना डालने की बात कहकर झगड़ा करती थी तथा मृतका शहनाज बानो की काफी समय से दिमागी हालत ठीक नहीं होने से भीलवाड़ा से इलाज चल रहा था। जिसका इलाज का खर्चा मुल्जिम रूस्तम वहन नहीं करता है जिसके कारण आर्थिक तंगी से परेशान होकर एवं आये दिन

आपसी कलह के कारण मुल्जिम रूस्तम द्वारा अपनी मां को जान से मारने की नियत से दिनांक 29.06.2023 को अपनी मोटर साईकिल पर गाय को पानी पिलाने के बहाने बैठाकर गांव से बाहर स्थित अपने कब्जाशुदा बाड़े पर ले गया जहां विवाद होने पर अपनी मां को धक्का देकर पेट के बल जमीन पर गिराकर पीठ व जांघों पर अपना घुटना लगाकर साफी से गला दबाकर अपनी ही मां शहनाज बानो की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा अपने अपराध को छिपाने के लिये सांप काटने की अफवाह फैलाकर अपने जानकार लोगों को फोन कर सूचना देना एवं जहां से अस्पताल शाहपुरा लेकर आना एवं डॉक्टर को सांप काटने की बात बताना तथा डॉक्टर को शंका होने पर पुलिस को सूचना देना पाया गया है। इस प्रकार तफतीश से मुल्जिम रूस्तम के विरूद्ध अपराध धारा 302 भा0द0सं0 बखूबी पाया गया है।

50- इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया जाये तो यह जाहिर होता है कि गवाह पी0ड0 20 डॉ0 वीरभान ने यह सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 29.04.2023 को भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित होकर उस दिन शहनाज बानू उसके घर पर दिखाने आयी थी। जिसका परीक्षण किया तो बाई पालर मूड डिसआर्डर से ग्रसित थी। जिसके लिये उसने उसको दवाईयां लिखी। जिस समय वो उसके पास आयी तो उत्तेजना की स्थिति में थी। शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। उक्त पर्ची प्रदर्श पी-16 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि यह सही है कि जब शहनाज बानू उसके पास आयी तो उसे मन पर उसका नियंत्रण नहीं था। शहनाज बानू सन 2023 में आयी उसके बाद वापस दिखाने आई हो तो जानकारी नहीं है। जिस दिन उसके पास शहनाज आयी थी उस दिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यह कहना सही है कि जिस समय शहनाज उसके पास आयी उस समय वो उत्तेजना की स्थिति में थी। उक्त चिकित्सकीय साक्षी ने मुख्य परीक्षा में मृतका के इलाज की पर्ची को प्रदर्श पी-16 के रूप में प्रदर्शित कराया है जिसके मुताबिक मृतका की मानसिक बिमारी का

इलाज वर्ष 2023 में चल रहा था एवं मृतका ने उक्त मनोचिकित्सक को दिनांक 12.11.2022 को दिखाकर उपचार लिया था एवं उक्त मनोचिकित्सक ने नींद कम आना, ज्यादा बोलना, Big talks करना, कोई भी काम नहीं कर पाना इत्यादि बाबत लक्षण तीन माह से होना अंकित करते हुए उसे दवाईयाँ लिखी थी। मृतक शहनाज बानु ने उक्त मनोचिकित्सक को दिनांक 29.04.2023 को भी दिखाकर उपचार लिया था जिसमें मृतका की बीमारी बीपीएडी होना अंकित की थी, जो कि मेडिकल विज्ञान में Bipolar Affective Disorder नामक मनोदशा विकार संबंधी मानसिक बीमारी है। अतः उक्त मनोचिकित्सकीय साक्षी ने अपनी साक्ष्य से वर्ष 2022 से 2023 तक मृतका का उपरोक्त मानसिक बिमारी से ग्रसित होना प्रमाणित किया है जिसकी ताईद अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 राजकुमार नायक ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में करते हुये स्वीकार किया है, कि उसके अनुसंधान के दौरान यह सामने आया था कि मृतका का मानसिक रोगी होने का इलाज भीलवाड़ा डॉक्टर वीरभान चंचलानी के पास चल रहा था। चूंकि कड़ी संख्या एक में किये गये विवेचनानुसार अभियुक्त का उसकी मृतका मां के साथ मारपीट किया जाना साबित पाया गया है एवं उपर्युक्त विवेचनानुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतका मानसिक बीमारी से ग्रसित थी, जिसका वर्ष 2022-23 में मनोचिकित्सक पी0ड0 20 डॉ0 वीरभान से इलाज चल रहा था एवं अभियुक्त अपनी मां की मानसिक बीमारी से परेशान था, इसलिए आये दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था, जिससे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त के पास अपनी मां शहनाज बानू की हत्या करने का पर्याप्त हेतुक था। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार कड़ी संख्या 03 आया मुल्जिम के पास अपनी मां शहनाज बानू की हत्या कारित करने का पर्याप्त हेतुक था, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित पाई गई है।

<u>कड़ी संख्या -4 -</u>

आया मृतका शहनाज बानू की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी ?

51- परिवादी पी0ड0 1 मकबूल मोहम्मद ने उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह तथ्य अंकित कराये है कि उसे घटना के दिन उसकी बहिन की मौत सांप के काटे जाने की घटना किसी ने फोन कर बतायी थी लेकिन जब उसने अपनी बहिन की लाश देखी तो सांप के कांटने के कोई निशान नहीं थे मगर उसके गले पर गला घोंटने के निशान नजर आ रहे थे। इस संबंध में मृतका शहनाज बानू की लाश का पंचायत नामा लाश प्रदर्श पी-4 महत्वपूर्ण है। उक्त फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-4 के गवाहान पी0ड0 2 मोहम्मद अली व पी0ड0 3 रामलाल, पी0ड0 4 मोहम्मद अजीज व पी0ड0 5 रोशन ने एक स्वर में इनके समक्ष सेटेलाईट हॉस्पीटल शाहपुरा में मृतका शहनाज बानू का पुलिस द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया जाना कथित किया है और उक्त सभी ने उक्त पंचायतनामा लाश पर स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किये है। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-4 का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि इसकी राय पंचनान में यह अंकित है कि मृतका की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करना बताया है । इसी प्रकार की राय जांच अधिकारी में यह तथ्य अंकित है कि राय पंचान से सहमत है मगर मृत्यु का असल कारण जानने के लिये पी0एम0 करवाया जाना आवश्यक है। इसी अनुक्रम में चिकित्सकीय साक्षी पी0ड0 16 डॉ0 हीरापाल जो कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 तैयार करने वाले मेडिकल बोर्ड का सदस्य रहा है, ने कथन किया कि दिनांक 30.06.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा की तहरीर पर शाहपुरा चिकित्सालय में मृतका की लाश का मेडिकल बोर्ड सदस्य रहते हुए प्रदर्श पी-8 तैयार किया था और उस पर ए से बी स्थान पर मेडिकल बोर्ड की राय, स्वयं के सी से डी स्थान पर हस्ताक्षर तथा ई से एफ स्थान पर डॉ0 सोनिया व जी से एच स्थान पर डॉ0 अभय धाकड़ के हस्ताक्षर हैं तथा मृतका की मृत्यु का कारण प्रदर्श पी-8 में Asphyxia due to strangulation (गला घुटने से दम घुटने के कारण) होना बताया है तथा जिरह में यह कथन किया कि मृतका के गले के अग्र भाग पर फंदे के निशान थे । इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवाह ने मृतका के शरीर पर निम्न

चोटे होना भी बताया है- 1 शरीर पर नीलगु था जो दो. से.मी. गले में फंदे के निशान के उपर था, 2. नीलगु सात गुणा पांच से.मी. जो दांयी भुजा के उपरी हिस्से पर, 3. नीलगु बांयी जांघ पर नीचले हिस्से पर अंदर की तरफ चोट सं. 4 लिगाचर मार्क ग्यारह से.मी. गुणा चार मि.मी. था जो गर्दन के मध्य में आगे की तरफ था। इस प्रकार मृतका की फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी-4 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 एवं चिकित्सकीय साक्षी पी0डी0 16 डॉ0 हीरापाल की साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया गया है कि मृतका की मृत्यु सांप के काटे जाने से नहीं हुई थी अपितु गला घोटे जाने से उसका दम घुटने के कारण हुई थी। इस प्रकार मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होना प्रमाणित है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार कड़ी संख्या चार आया मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई थी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाई जाती है।

<u>**कड़ी संख्या 5-**</u>

आया अभियुक्त ने अपनी मां शहनाज बानू का साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी ?

52- कड़ी संख्या 04 में किये गये विवेचनानुसार मृतका की मृत्यु का कारण गला घोटने से दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है तथा चिकित्सकीय साक्षी पी0डी0 16 डॉ0 हीरापाल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 के अनुसार चोट संख्या 4 उसकी गर्दन पर लिगेचर मार्क 11 से.मी. गुणा 04 मि.मी. तथा गर्दन की तीसरी हडडी स्पाईनल प्रोसेस का फ्रैक्चर होना भी पाया गया है, जिससे जाहिर है कि मृतका की मृत्यु किसी वस्तु से से गला घोट कर कारित की गई थी । इस संबंध में अभियोजन की यह कहानी रही है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्त द्वारा साफी से गला घोंटकर कारित की गई थी । प्रकरण में गला घोंटने में प्रयुक्त साफी को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी-11 जब्त किया गया और इसके बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 बनाया गया है, जिसके गवाह पी0डी0 17 रमेश व पी0डी0 19 मुकेश कुमार रहे हैं। इस संबंध में गवाह पी0डी0 17

रमेश ने अपने मुख्य परीक्षण में यह सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा पर कानि0 के पद पर तैनात था। उसके बाद उसी दिन आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई साफी जब्त करवाई जो फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल साफी का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि साफी सफेद रंग की थी एवं उसकी लंबाई लगभग 150 से.मी. व चौड़ाई 75 से.मी. थी। यह सही है कि साफी की लंबाई-चौड़ाई व कलर उसने अपने पुलिस बयान में लिखवाये थे। साफी की लंबाई-चौड़ाई व कलर उसने अपने पुलिस बयान में लिखवाये थे। साफी की लंबाई-चौड़ाई के बारे में एसएचओ साहब बता सकते है जो कि हमारे सामने किया था। इसी प्रकार गवाह पी0ड0 19 मुकेश ने अपनी साक्ष्य में सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना शाहपुरा पर कानि0 के पद पर तैनात था। उसके बाद उसी दिन आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त की गयी साफी जब्त करवाई जो फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल साफी का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी-12 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि साफी सफेद कलर की थी, साफी की लंबाई-चौड़ाई उसे याद नही, यह कहना गलत है कि साफी को रूस्तम थाने से साथ लेकर गया हो, बल्कि घटनास्थल पर ही पड़ी थी। अतः उपरोक्त मोतबीर गवाहान की पुष्टिकारक साक्ष्य से फर्द जब्ती साफी प्रदर्श पी-11 एवं फर्द बरामदगी स्थल साफी का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 अखण्डनीय रूप से प्रमाणित है। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 ने यह सशपथ बयान दिया है कि दौराने तफतीश मुल्जिम रूस्तम द्वारा उसे सूचना दी कि उसने ईद के दिन उसकी मां को मोटर साईकिल पर बिठाकर बाड़े में ले गया और साफी से गला घोंटकर उसकी मां की हत्या कर दी थी, वह साफी उसने बाड़े में रखे लोहे के चददरों के नीचे छिपा रखी है

जिसे वह चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी-27 पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम द्वारा प्रदत्त इत्तला प्रदर्श पी-25 की तस्दीक उसके द्वारा मुल्जिम को हमराह घटनास्थल पर पहुंचकर मुल्जिम ने आगे आगे चलकर बाड़े में प्रवेश कर जिस स्थान पर मां की हत्या साफी से गला घोंटकर की थी, उस स्थान की तस्दीक की जाकर नक्शा मौका प्रदर्श पी-10. बनाया जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम रूस्तम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अतः अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 24 ने अभियुक्त द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त साफी को बरामद किये जाने की ताईद की है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि फर्द बरामदगी साफी प्रदर्श पी-11 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका साफी प्रदर्श पी-12 बनाये जाते समय स्वतंत्र गवाहों को मोतबीर नहीं बनाया गया है इसलिए उक्त जब्ती युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत स्टेट आफ राजस्थान बनाम एनसीटी आफ दिल्ली बनाम सुनील (2001)1 एसससी 652 से होता है। उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि केवल इस कारण से कि बरामदगी में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये थे, केवल पुलिस गवाह बनाये गये थे, बरामदगी अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी फर्द बरामदगी साफी के गवाहान की साक्ष्य पुष्टिकारक व विश्वसनीय है, अतः उपर्युक्त् सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में मात्र स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने के कारण यह बरामदगी अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये उक्त तर्क उसे कोई सहायता नहीं पहुंचाते है।

53- अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त की गयी साफी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-11 एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-12 युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। चूंकि कड़ी संख्या 1 से 4 के निष्कर्ष अनुसार यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि मृतका मानसिक बिमारी से ग्रसित थी जिससे परेशान होकर उसका पुत्र रूस्तम

(अभियुक्त) उसके साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता था और उसके पास अपनी मां की हत्या कारित करने का पर्याप्त हेतुक था इसलिए उसने वक्त घटना बरामदशुदा साफी से अपनी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कारित कर दी। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार कड़ी संख्या 05 आया अभियुक्त ने अपनी मां शहनाज बानू का साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित पाई जाती हैं।

<u>कड़ी संख्या 6 -</u>

आया अभियुक्त अंतर्गत धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में कैसे हुई ?

54- चूंकि कड़ी संख्या 1 से 5 के निर्णय अनुसार यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्त की मां शहनाज बानू (मृतका) मानसिक बिमारी से ग्रसित थी जिससे परेशान होकर अभियुक्त आये दिन उससे लड़ाई-झगड़ा करता रहता था, घटना के दिन वह उसकी मां के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम बार विद्यमान था तथा उसकी मां की हत्या करने का उसके पास पर्याप्त हेतुक था एवं उसकी मां की मृत्यु असाधारण परिस्थितियों में हुई थी। अतः इन समस्त परिस्थितियों व कड़ियों के जुड़ने के बाद धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह साबित करने का भार अभियुक्त पर हस्तान्तरित हो जाता है कि उसकी मां की मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में हुई थी क्योंकि उक्त तथ्य केवल अभियुक्त के ही विशिष्ट ज्ञान में था। इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टांत तथ्यों व परिस्थितियों की समानता के मध्यनजर प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है-

1- (2018) 1 एस0सी0सी0 (क्रिमि0), 452
हिमाचल प्रदेश बनाम राजकुमार

2- 2016(2) सीजे (क्रिमि0)(राज0), 679
शंकरलाल बनाम राजस्थान राज्य

3- 2019(1) सीजे(क्रिमि0) राज0 221
महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य

55- इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सम्मानीय निम्न न्यायिक नजीर भी महत्वपूर्ण है -

(1) (2022) 0 ए0आई0आर0 (एससी) 2591
सावित्री सामन्ता राय बनाम उड़ीसा राज्य

उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतपादित किया गया है कि -

Indian Evidence Act, 1872 Section 106- Burden of Proof- although section 106 is in no way aimed at relieving prosecution from its burden to establish guilt of an accused, it applies to cases where chain of events has been successfully established by prosecution, from which a reasonable inference is made out against accused- In a case bases on circumstantial evidence, whenever an incriminating question is posed to accused and he or she either evades response, or offers a response which is not true, then such a response in itself becomes an additional link in chain of events " (Paras 18 and 19)

56- चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण में कड़ी संख्या 1 लगायत 5 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में कड़ी संख्या 6 '' जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में कड़ी है, को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, किंतु अभियुक्त की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण अभियुक्त पक्ष उस पर अधिरोपत धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भार को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है और यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि वक्त घटना उसकी मां की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में कैसे हुई ।

57- हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष को समस्त श्रृंखलाबद्ध कड़ियों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है। उक्तानुसार किये गये सम्पूर्ण विवेचन से हस्तगत परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में अभियोजन पक्ष समस्त श्रृंखलाबद्ध कड़ियों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में कामयाब हुआ है तथा यह प्रमाणित पाया गया है कि मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व अंतिम बार अभियुक्त तथा मृतका एक ही स्थान पर एक साथ विद्यमान थे तथा अभियुक्त उस पर अधिरोपित धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इस भार को प्रमाणित करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में कैसे हुई तथा यह तथ्य साबित पाया गया है कि अभियुक्त उसकी माता की मानसिक बीमारी से परेशान होकर उसके साथ आये दिन मारपीट करता रहता था, उसके पास अपनी मां की मृत्यु कारित करने का पर्याप्त हेतुक था एवं घटना में प्रयुक्त साफी की बरामदगी साबित पाई गई है एवं मृतका की मृत्यु गला घोंटने से, दम घुटने से होना प्रमाणित पाई गई है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि घटना के समय केवल और केवल अभियुक्त द्वारा ही अपनी मां शहनाज बानू की साफी से गला घोंटकर हत्या कारित की गई। अतः अभियुक्त रूस्तम आरोपित अपराध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

58- अतः अभियुक्त रूस्तम पुत्र श्री मोहम्मद अली, उम्र 21 वर्ष, निवासी रहड़ पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

(सानिया हाशमी)

59- **दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।** दोनों पक्षों की सहमति से एवं अभियुक्त पक्ष के निवेदन पर दण्ड के प्रश्न पर पर्याप्त अंतराल दिये जाने के पश्चात आज ही सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त लगभग तीन वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है । उसका यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाया जावें। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए अभियुक्त को कठारे दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

60- हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का पुनः अवलोकन किया । यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, परंतु अभियुक्त रूस्तम ने अपनी मां शहनाज बानू का साफी से गला घोंटकर हत्या कारित की है। अभियुक्त का कृत्य निसंदेह अत्यधिक निन्दनीय एवं घृणित है, किंतु यह प्रकरण विरलतम श्रेणी का नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

61- परिणामतः अभियुक्त रूस्तम पुत्र श्री मोहम्मद अली, उम्र 21 वर्ष, निवासी रहड़ पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को अपराध अन्तर्गत धारा **302** भा०द०सं० के दोषसिद्ध आरोप में आजीवन कारावास एवं 25000/-अक्षरे .पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। अभियुक्त सजा वारण्ट नियमानुसार मुर्तिब किया जावे। इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदत्त की जावे।

मृतका शहनाज बानू के परिजनों को प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण में जब्तशुदा माल मशरूका साफी आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिये जावे तथा अपील होने की स्थिति में उक्त समस्त माल मशरूका का अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारण किया जावे।

(सानिया हाशमी)

62- निर्णय आज दिनांक 25-06-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सानिया हाशमी)